

प्रिया,

मुख्यमंत्री मित्र

विभाग राज्यपाल

उत्तर प्रदेश

लखनऊ में,

१. निदेशक,

राज्य नगरीय विकास उन्निकरण,

उत्तर प्रदेश

नगरीय सेवगार एवं गरीबी

उन्नयन कार्यक्रम विभाग।

विषय: शहरी गरीबों के लिये अल्पसंख्यक बाहुल्य वरित्यों तथा नगरीय मण्डिन वरित्यों में आसरा योजना (आवासीय भवन) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-३७ से रिलोकेशन आवासों की ०१ परियोजना की वित्तीय स्वीकृति।

अद्वेदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-१८०६/१९२/१०/उः/विविध/आसरा/तकनीकी (शाहजहांपुर-तिलहर-१०८) दिनांक ३० जुलाई, २०१५ के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वरित्यों तथा नगरीय मण्डिन वरित्यों में आसरा योजना (आवासीय भवन) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-३७ से जनपद-शाहजहांपुर की नियाय-तिलहर की ४२ रिलोकेशन आवासों की ०१ परियोजना हेतु ₹ २१३.४४ लाख की प्रशस्तीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित तालिका के स्तम्भ-७ में अंकित प्राप्त किश्त के रूप में परियोजना लागत का ५० प्रतिशत अर्थात् कुल धनराशि ₹ १०६.७२ लाख (रुपये एक करोड़ छठ लाख बहुत्तर हजार मात्र) की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शहौं/प्रतिवक्त्वों के अधीन सही स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र०	उत्तराधीन संकाय का नाम	कुल आवासों की संख्या।	अप्रस्थापना सुधिधार्त सहित परियोजना की कुल आवासीय लागत।	सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के आवासों की संख्या।	सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के आवासों की संख्या।	प्रथम किश्त (५० प्रतिशत) के रूप में स्वीकृत की जाने वाली धनराशि (संघटन चार्ज एवं लेवर सेरा सहित)।
१	२	३	४	५	६	७
१	शाहजहांपुर/तिलहर	१०८	५४३.३४	४२	२१३.४४	१०६.७२
	भोज			४२	२१३.४४	१०६.७२

(रुपये एक करोड़ छठ लाख बहुत्तर हजार मात्र)

- उपर धनराशि का व्यय आसरा योजना (आवासीय भवन) के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या- ३३/६९-१-१३-१४(३१)/२०१२टीसी(सी), दिनांक १६ जनवरी, २०१३ एवं शासनादेश संख्या-१८३३/६९-१-१४-१४(३१)/२०१२टीसी(सी) दिनांक ०९ सितम्बर, २०१४ में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए की जायेगी।
- प्रदानगत दायें पारम्पर करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुरिता खण्ड-६ के अध्याय-१२ के प्रत्यर-३१३ में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

-२-

3. उक्त यो निर्णय सर्वे प्राचीन काले दृष्टि सामग्री के अनुसार उत्तम सम्भव रूपों के बिना उत्तम अस्ति तथा अचरितों के द्वयों के व्यापक उद्देश्य समाज के विकास के पातेय एवं प्रदावरणीय वित्तव्यावस्था प्राप्त करने के उद्दरमत हो निर्णय वर्ष्य प्रारम्भ होगा जायेगा।
4. उक्त धनराशि शासन/प्रायोजन सम्भव एवं मूल्याङ्कन प्रभाग/राज्य सतरीय समव्यव समिति द्वारा वित्तीय शर्तों/प्रतिवर्त्तीों के उत्तम उपर्युक्तानुसार निर्दिष्ट मद जे व्यव की जायेगी यो निर्दिष्ट परियोजन के मानकीकृत शीब्रफल, आवधित एवं मात्रा मे किसी प्रकार का परिवर्त्त उत्पुत्त्य नहीं होगा।
5. उक्त धनराशि नित कार्य/मद मे हर्यकृत की जा रही है, इसका व्यव प्रत्यक्त दृश्य मे उसी कार्य मे मे किया जाये। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय गिरियों के अनुसार किया जायेगा। परियोजनाएँ पुणे गुणवत्ता व पारदर्शिता के साथ पूरी करायी जायेगी एवं किसी प्रकार का बारट एकलेशन अनुमत्य नहीं होगा।
6. सूडा/इडा द्वारा यह सुनिषित किया जायेगा कि हर्यकृत किये जा रहे इस कार्य हुए पूर्य मे राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि हर्यकृत नहीं की गयी है तथा न हो यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना मे समिलित है। उक्त हर्यकृत धनराशि आवृत्ति परिवर्त्त के अन्तर्गत होने एवं यार्यों की द्विरप्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे सूडा/इडा द्वारा आप्त स्तर से सुनिषित किया जायेगा।
7. प्रायोजनान्तर्गत कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैत नये कार्य बढ़ावा, कार्यों के आकार/शीब्रफल मे वृद्धि एवं अन्य विशिष्टियों इसलेभाल करना इत्यादि, व्यापक वित्त समिति का एवं अनुसोदण प्राप्त किये गया जही किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समित द्वारा अनुमोदित कार्यों की कार्यालय सम्बन्ध द्वारा तकनीकी हर्यकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/इंजिन व्यापक वित्तीय समय प्रायोजना लगात अं 10 प्रतिशत से अधिक एहि होती है तो इस वित्तीय मे पुनरावृत्त प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर व्यव वित्त समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होना अन्यथा बाद मे पुनरावृत्त प्रायोजना लगात के प्रस्ताव पर विचार जही किया जायेगा।
8. निर्माण कार्य आरम्भ करने के पूर्व इन सौर आवासों के अनुस्यानियों के अनुस्यानित्व का सन्यापन अनिवार्य रूप से किया जायेगा।
9. सूडा/इडा द्वारा यह सुनिषित किया जायेगा कि व्यव वित्त समिति द्वारा अनुमोदित आपारा योजनान्तर्गत आवासों के निर्माण से सम्बन्धित मालिकोंकरण ऐ अनुसार ही आपास बन्ध एवं व्यव वित्त समिति द्वारा अधिरोपित शर्तों का अनुपालन सुनिषित करेगी।
10. उक्त धनराशि बैंक के माध्यम से आहरण के प्रथम राज्य विकास अभियान एवं तन्त्रज्ञान इडा द्वारा परियोजना सम्बन्धी सभी परिवार्ताओं का सक्षम संगीय विद्युकरण करावाय गुणवत्त्व आदि विन्दुओं सहित व्यापक योजना निर्देशों के अनुपालन पर आशयरूप होकर, त काल सम्बन्धित इडा/उनके माध्यम से निर्माण इकाई को उपलब्ध करा दी जायेगी, जो अपने स्तर पर भी उपतानुसार सभी परिवर्त्ती पर आशयस्त हो रही।
11. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य लगानीय विकास अभियान, 30प्प०, लघुनक द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव अथवा विशेष सदिक, जनरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मुख्य कार्यक्रम विभाग के प्रतिव्यस्ताक्षरोपणात् किया जायेगा।
12. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (गजकोप), महालेखाकार (लेखा), 30प्प०, इवाहावाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का जान, बाजार संचया, तिथि तथा लेखा शीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।

13. स्वीकृत धनराशि कोपानार से आहरित कर बैंक/डाकघर/हिपोजेट द्वारा या पौँगलण्ड में लिये जायेगी। स्वीकृत यों जा रहे धनराशि का कोपानार से आहरण ग्राहक सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जायेगा तथा इसमें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। प्रश्नक्रत आहरण/भुगतान के पूर्ण अवधिनियम के बहुत या सर्व कर्ता के सम्बन्धी अविद्यार्थी विद्यिक प्रतिबद्धता के अनुपालन का एयाल रखा जायेगा।
14. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में यथा कलेक्टर अवश्य करा दिया जाया। योग्यतात्त्वकृत प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत उक्त धनराशि की 75 परिशत धनराशि दब्य हो जाने के पश्चात् तथा उसके सापेक्ष भौतिक प्रगति/गुणवत्ता रो संनुष्ठ होने के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को समरा से उपलब्ध कराया जायेगा। तटीपराल्ट योजना की अवशेष/द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की जायेगी। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि यादे कोई हो, तो एकमुक्त शासन को वापस करनी होगी।
15. विदेशी/सचिव, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३००८०, लखनऊ आहरण की वर्षान्त पर अपने सेवों का जिलाल नगरेखाकार के कार्यालय के लिये से अवश्य करायेंगे।
16. परियोजना से सम्बन्धित निर्माण इकाई से यथाद्यवद्या धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व अनुबन्ध (एन०ओ०ग०) लिप्पादित किये जाने हेतु सूडा द्वारा सम्बन्धित दूषा को निर्देशित किया जायेगा।
2. अपरीक्त धनराशि का दब्य चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-दब्यक में अनुदान संख्या-३७ के अनुसार लेखा शीर्षक “४२१६-आवास पर पूँजीगत परिवर्य-आयोजनागत-०२-शहरी आवास-८००-अन्य दब्य-०३-आसारा योजना (आवारीय अवन)-२४-वृहद निर्माण कार्य” के तहमे डाला जायेगा।
3. यह आदेश विभाग के कार्यालय जाप संख्या-२/२०१५/दी-१-९२५/दस-२०१५-२३१/२०१५, दिनांक ३०.०३.२०१५ व समय समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।

मददीय  
  
(एच०पी० सिंह)  
विशेष सचिव।

संख्या- ७७४/२०१५/२०००(१)/६९-१-१५, तदिगांक]

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. नगरेखाकार (लेखा एवं हक्कारी), प्रथम, उत्तर प्रदेश, २० सरोड़ी नाथू भारी, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परिका विभाग, ३००८०, छूयां तल, संगम परेस, सिद्धिल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, शाहजहांपुर।
5. वित्त (दब्य-नियंत्रण) अनुभाग-४, उत्तर प्रदेश शासन।
6. नियोजन अनुभाग-४, उत्तर प्रदेश शासन।
7. मुख्य कोपाधिकारी, जयाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. सहायक वैद मारठर, सूडा को विभागीय वैद साइड पर अपलोड कराने हेतु।
10. गाँड़ फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(एच०पी० सिंह)  
विशेष सचिव।